उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–897 / पॉच–5–2020
लखनऊ दिनॉक: 20 अप्रैल, 2020
कार्यालय–ज्ञाप

अपर प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (उ0प्र0) के पत्र संख्या–Z/SS/AGM/NER/ 2016/22, दिनांक 15.04.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत भारत सरकार के पत्र संख्या–एन0एच0एस0आर0सी0 / 20–21 / ई0डी0सेक० / कोविड–19 / 05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एपिडेमिक एक्ट–1897 (अधिनियम संख्याः 03, वर्ष 1897) की धारा–2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड–19 नियमावली–2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के पंडित ललित नारायण मिश्र, रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर में 200 शैय्या के कोविड–19 फैसेलिटी को एतदद्वारा डेडिकेटेड **"कोविड–19"** एल–1 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त चिकित्सालय में कोविड–19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों (भर्ती रोगियों को डिस्चार्ज करने, अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित करने, चिकित्सालय परिसर को सैनेटाइज करने एवं कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता) के अनुसार तैयारियां पूर्ण की जाएंगी। रेलवे के संक्रमित कार्मिक एवं उनके परिवारीजनों को इस अस्पताल में चिकित्सा में प्राथमिकता दी जाएगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या–897(1) / पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (उ0प्र0) को उनके पत्र संख्या–Z/SS/AGM/NER/ 2016/22, दिनांक 15.04.2020 के क्रम में।
3. मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
20/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

pankaj sir U.O com 3